पत्र संख्या-नई इकाई-10-निवेश मित्र(12-13)/ 299\\1213067 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(नई इकाई अनुभाग)
लखनऊ : दिनांक 20 नवम्बर, 2012

जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 ,वाणिज्य कर ,
मुरादाबाद, कानपुर-प्रथम व द्वितीय, लखनऊ-प्रथम व
द्वितीय, गोरखपुर, अलीगढ़, फैजाबाद, आगरा,
गौतमबुद्ध नगर, इलाहाबाद, वाराणसी-प्रथम व
द्वितीय, गाजियाबाद-प्रथम व द्वितीय, सहारनपुर,
मेरठ, झाँसी, इटावा एवं बरेली ।

विषय:- **निवेश मित्र योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में औद्योगिक इकाइयों के पंजीयन प्रार्थना पत्र मैन्युली प्राप्त न करने के सम्बन्ध में ।**

आप अवगत है कि वेब आधारित एकल मेज व्यवस्था के अन्तर्गत उद्योगों को विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियाँ / अनुमतियाँ / अनापत्तियाँ / प्रमाण-पत्र आदि के समयबद्ध रूप में निर्गत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश मित्र व्यवस्था लागू की गयी है । यह व्यवस्था प्रथम चरण में शासनादेश संख्या-1022 / 77-6-2009 / 08, दिनांक 04.06.2009 द्वारा प्रदेश के 18 जनपदों मे लागू की गयी थी । द्वितीय चरण में शासनादेश संख्या-1719 / 77-6 / 11-9 (एम) / 08, दिनांक 05.12.2011 द्वारा इस व्यवस्था को 27 अन्य जनपदों में भी लागू किया गया था । शासन के निर्देशानुसार उक्त 45 जनपदों में निवेश मित्र व्यवस्था के अन्तर्गत वृहद, मध्यम एवं लघु औद्योगिक इकाइयों के पंजीयन प्रार्थना पत्र ऑन लाइन प्राप्त किए जाने एवं मैन्युली न प्राप्त किए जाने के निर्देश मुख्यालय के पत्र संख्या नई इकाई-10-निवेश मित्र (11-12) 01 दि0 4-4-2012 द्वारा जारी किए गये थे ।

शासनादेश संख्या-08-UB/77-6-12-9(M) /08 दि0 19-9-2012 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा अवशेष 30 जनपदों में भी निवेश मित्र व्यवस्था को लागू कर दिया गया है । अत: अब निवेश मित्र व्यवस्था प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू हो चुकी है । शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि निवेश मित्र वेब पोर्टल (WWW.udyogbandhu.com) में उपलब्ध विभागीय प्रार्थना पत्र इस व्यवस्था के अन्तर्गत लघु, मध्यम एवं वृहद् उद्योगों से अनिवार्य रुप से ऑन लाइन ही प्राप्त किये जायेंगे तथा विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन श्रेणी के उद्योगों से आवेदन पत्र मैन्युली न प्राप्त किये जाएं । सूक्ष्म श्रेणी के उद्योगों को ऑनलाइन आवेदन पत्र देने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इस श्रेणी के उद्यमियों को यह विकल्प प्राप्त होगा कि यदि वे इस व्यवस्था का लाभ उठाने के इच्छुक हों तो वे भी ऑनलाइन आवेदन पत्र दे सकेगें ।

अत: उपरोक्त सम्बन्ध में निवेश मित्र व्यवस्था के सुचारु रुप से संचालन हेतु निर्देश दिए जाते है कि प्रदेश के वर्तमान सभी 75 जनपदों में लघु, मध्यम एवं वृहद् औद्योगिक इकाइयों से पंजीयन आवेदन पत्र निवेश मित्र की वेबसाइट के माध्यम से अथवा विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था के माध्यम से ऑन लाइन ही प्राप्त किये जाएं, मैन्युली न प्राप्त किये जाएं ।

कृपया अपने अधिक्षेत्र के समस्त जनपदों में उक्त निर्देशों का सम्यक पालन कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार ।

(हिमांशु कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

-------2

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (औद्योगिक विकास अनुभाग-6) उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
2. संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग (अनुभाग-2), उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
3. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु 12 सी ,माल एवेन्यू,लखनऊ ।

(मुक्ति नाथ वर्मा)
डिप्टी कमिश्नर (नई इकाई) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।